



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 333 राँची, बुधवार, 24 आषाढ़, 1942 (श०)
15 जुलाई, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

08 अगस्त, 2019

विषय:- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा, वज्रपात से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान हेतु संबंधित जिला उपायुक्तों को एकमुश्त आवंटित की जानेवाली राशि में वृद्धि के संबंध में।

संचिका संख्या- 02/आ.प्र.(वज्रपात)-37/2012-873/आ.प्र.,-- भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (हिम स्खलन, बादल फटना, चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकांड, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, टिड्डा एवं कृतक संकट, सुनामी एवं शीतलहर) से प्रभावितों को सहायतार्थ समय-समय पर मद एवं मापदण्ड निर्गत किए जाते हैं, जिसमें निर्धारित दर के अनुसार प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

- संबंधित जिला के उपायुक्त से प्राप्त अध्याचना प्रस्ताव के आलोक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति से अनुमति प्राप्त कर अथवा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा संबंधित उपायुक्त को राशि आवंटित की जाती है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को त्वरित गति से सहायता उपलब्ध कराने हेतु संकल्प संख्या-604, दिनांक-18.05.2015 की कंडिका-5 में राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-
- (i) प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को त्वरित गति से सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य के समस्त उपायुक्तों को भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीनतम मद एवं मानदण्ड में दिनांक-28.11.2013 के परिपत्र एवं मानक के तहत समय-समय पर परिवर्तन होने पर कंडिका-10 Infrastructure को छोड़कर मानक के अधीन स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं।
 - (ii) आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न सुसंगत शीर्षों के तहत 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये आवंटन उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित राशि के व्यय होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उपायुक्तों को उनकी अधियाचना पर पुनः आवंटन उपलब्ध करायी जायेगी।
 - (iii) उपायुक्त, द्वारा स्वीकृत राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाय। यथा संभव संबंधित बैंक खाता आधार लिंकड हो। ऐसा न होने पर e-KYC complaint अवश्य रहे।
 - (iv) आपदा आने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर इसका निष्पादन किया जाय। प्रयास एक सप्ताह के अन्दर ही भुगतान करने का होना चाहिए। इस हेतु आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर पंचायत आपदा कर्मी नाम/पदनाम से घोषित किया जाय जो पंचायत सेवक/हल्का कर्मचारी एवं जनसेवक रहे। ग्राम पंचायत का दायित्व एवं सहभागिता भी उपायुक्त स्पष्ट करेंगे।
 - (v) सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की घोषणा सक्षम स्तर से होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा।
 - (vi) बाढ़ एवं अग्नि दुर्घटना के मामले में कंडिका-(v) की आवश्यकता नहीं होगी, उपायुक्त स्वतः सक्षम होंगे।
 - (vii) संबंधित सूचना आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर update भुगतान के साथ अवश्य किया जाय। उचित होगा कि वेबसाइट पर uploaded information कोषागार विपत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार रहे। यह संलग्न विहित प्रपत्रों में किया जायेगा।
 - (viii) अनुदान स्वीकृति के पूर्व विभिन्न मदों में स्वीकृति के पूर्व विहित प्रपत्रों में सूचना संकलित किया जाय, जिससे आपदा का सही सत्यापन किया जा सके। इसका विस्तृत प्रपत्र संलग्न है।
 - (ix) कंडिका-(v) और (vi) के क्रम में जहां राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) या राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) की अनुशंसा की आवश्यकता हो, वहां प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) की स्वीकृति हेतु भेजा जाय।
 - (x) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मद एवं मानदण्ड में उल्लेखित Agricultural assistance, कंडिका-5, 6, 7, 8 एवं 10 का अनुदान भी विस्तृत प्रस्ताव के साथ राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) को प्रेषित किया जायेगा। अन्तिम निर्णय राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) का होगा।
 - (xi) सरकारी योजनाओं के तहत जहां आपदा नियंत्रण एवं आपदा के बाद कार्य संभव हो उसे coordinate करके कराया जाय। जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित मासिक बैठक कर इसे सुनिश्चित किया जाय।
4. उक्त निर्णय भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि संबंधी मद एवं मापदण्ड (पत्रांक-32-3/2013- NDM-I, दिनांक-28.11.2013) के आलोक लिये गये थे। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत नवीनतम मद एवं मापदण्ड (पत्रांक-32-7/2014- NDM-I, दिनांक-08.04.2015) में विभिन्न मदों में मुआवजा राशि में लगभग 2-3 गुणा तक वृद्धि की गयी है।
5. संकल्प संख्या-1055, दिनांक-11.09.2015 द्वारा वज्रपात को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया गया है एवं वज्रपात पीड़ितों को अनुदान स्वीकृति की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित की गयी

है। इस क्रम में वज्रपात से प्रभावितों को भी अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन निधि से उपलब्ध करायी जाती है।

6. गत वर्षों में वज्रपात से पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला उपायुक्तों को निम्नवत् राशि आवंटित की गयी है:-

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि
2015-16	6,83,83,700/-
2016-17	10,43,62,550/-

7. उक्त क्रम में दिनांक-13.06.2017 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-
- प्रति जिला उपायुक्त को एकमुश्त आवंटित की जानेवाली राशि 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये को बढ़ाकर 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये किया जाय।
 - संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जाय।
8. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया:-
- संकल्प संख्या-604, दिनांक-18.05.2015 की कंडिका 5(ii) में लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए प्रति प्रत्येक जिला उपायुक्त को एकमुश्त आवंटित की जानेवाली राशि 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये को बढ़ाकर 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये किया जा सकता है।
 - संकल्प संख्या-604, दिनांक-18.05.2015 के शेष निर्णय यथावत् रहेंगे ।
9. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय संलेख जापांक-790, दिनांक-24.07.2017 के क्रम में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-01.08.2017 को मद सं०-03 के रूप में स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस.के.जी.रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव।
